



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 2189 /रा0नि0आ0-2/4324/2025 देहरादून: दिनांक: 01 अगस्त, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा0नि0आ0अनु-2/4324/2025 दिनांक 21 जून, 2025 तथा अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति संख्या 1142/रा0नि0आ0-2/4324/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन सकुशल सम्पन्न होने के फलस्वरूप आज दिनांक 01.08.2025 को सायं 06.00 बजे से निष्प्रभावी की जाती है।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:- 2189 /रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
5. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।